194

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)
राजस्व वाद संख्या :– 45 / 2012

वादी

सुजाराम पुत्र मोहनलाल
जाति पटेल (गोयल) निवासी
सुभाष मार्ग बिलाड़ा तहसील
बिलाड़ा, जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. श्रीमती सीतादेवी उर्फ लाडकी पत्नी अमराराम
2. प्रमोद पुत्र अमराराम

जातियान पटेल निवासीगण
खटोड़ो की ढीमडी स्टेशन रोड
बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा
जिला जोधपुर

दावा अन्तर्गत धारा 88, 92ए, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– वादी की ओर से श्री बेनाराम अधिवक्ता
प्रतिवादी संख्या 1, 2 की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक :– 24/6/2018

वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा का दावा इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम बिलाड़ा चक संख्या 1 तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1624 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा आयी हुयी है। उक्त भूमि पारीदेवी पत्नी जोगाराम, सुन्दरी पत्नी जोगाराम जातियान पटेल निवासीगण बेरा खटोड़ो वाला बिलाड़ा तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की खातेदारी की थी। खातेदार पारीदेवी तथा सुन्दरी ने दिनांक 27.10.1998 को खसरा नम्बर 1624 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा में से 1485 / 124582 वॉ हिस्से की भूमि को जरिये बैचान वादी सुजाराम को कर दिया। उक्त रजिस्टर्ड बैचाननामा का दस्तावेज दिनांक 27.10.1998 को खसरा नम्बर 1624 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा को पुस्तक संख्या प्रथम, जिल्द संख्या 100 के क्रम संख्या 1934 के पृष्ठ संख्या 152 पर उप पंजीयक बिलाड़ा में पंजीयन किया। विवादग्रस्त कृषि भूखण्ड पर वादी ने जब से भूमि को खरीद किया तब से कब्जा चला आ रहा है। वादी ने भूखण्ड खरीद करने के बाद भूखण्ड के चारों और तारबन्दी करवायी गयी। विवादग्रस्त भूखण्ड का नाप 55 बाई 27 फुट है। पारीदेवी व सुन्दरदेवी द्वारा विवादित भूखण्ड का बैचान करने के बाद उनका कोई हक व अधिकार नही है। विवादित भूखण्ड खरीद करने के बाद पारीदेवी, सुन्दरदेवी तथा प्रतिवादी संख्या ने आपस में मिलीभगत कर एक राजस्व वाद पेश कर न्यायालय से डिक्री प्राप्त

सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

कर ली और वादी को बैची गयी भूमि का हवाला नही दिया गया है। पारीदेवी, सुन्दरदेवी ने कृषि भूखण्ड को प्रतिवादी संख्या 1, 2 सीतादेवी, प्रमोद के नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करवा दिया। वादी मजदूरी करता है, वादी को तकनीकी ज्ञान नही है। वादी ने पारीदेवी, सुन्दरदेवी को सम्पूर्ण प्रतिफल की राशि को अदा करने के बाद रजिस्टर्ड बैचान पंजीयन करवाया। वादी अनपढ होने के कारण उक्त बैचान का नामान्तरकरण पारित करवाने हेतु तहसील कार्यालय में कोई आवेदन नही दिया है, इस कारण नामान्तरकरण वादी के पक्ष में स्वीकृत नही हो पाया, जबकि वादी को यह ज्ञान था कि म्यूटेशन अपने नाम भर देगें। अभी हाल ही में वादी ने अपने कृषि भूखण्ड के खरीदशुदा भूमि के संबंध में हल्का पटवारी से म्यूटेशन की नकल इत्यादि लेने हेतु निवेदन किया, तब हल्का पटवारी ने बताया कि बैचान के आधार पर म्यूटेशन स्वीकृत नही किया है, इस कारण वादी को दिनांक 27.10.2009 को प्रथम बार जानकारी हुई। पारीदेवी, सुन्दरदेवी ने वादी को विवादग्रस्त कृषि भूखण्ड का बैचान कर दिया था, उसके बाद पारीदेवी, सुन्दरदेवी ने न्यायालय डिक्री से विवादित भूमि को प्रतिवादी संख्या सीतादेवी, प्रमोद के पक्ष में करवा दिया इस कारण प्रतिवादी का नाम हटाकर वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में अंकन फरमाया जावे तथा विवादग्रस्त कृषि भूखण्ड पर स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वादी की प्रार्थना है कि दावा वादी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वादी के पक्ष में घोषणा की डिक्री फरमायी जावे कि खसरा नम्बर 1624 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा में से 1485/124582 वॉ हिस्सा जरिये खरीद के अनुसार वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण के स्थान पर वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में अंकन किया जावे तथा प्रतिवादीगण का नाम हटाया जावे। प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस अमर की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री जारी फरमायी जावे कि वादी की खरीदसुदा भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी पैदा नही करावे।

वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में वादी सुजाराम द्वारा स्वयं का शपथ पत्र तथा उसके गवाह पी.डब्ल्यू 2 सोहनलाल आदि के साक्ष्य के शपथ पत्र पेश किये तथा वादी ने अपने वाद पत्र के दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 जमाबन्दी संवत् 2055 से 2058 खसरा नम्बर 1623, 1624, 1625, प्रदर्श 2 जमाबन्दी संवत् 2055 से 2058 खसरा नम्बर 1624, प्रदर्श 2ए जमाबन्दी संवत्

सहायक कलेक्टर
खण्ड अधिकारी

2055 से 2058, खसरा नम्बर 1630, प्रदर्श 2बी जमाबन्दी संवत 2055 से 2058 खसरा नम्बर 1625, 1627, प्रदर्श 2सी जमाबन्दी संवत 2055 से 2058 खसरा नम्बर 1623, प्रदर्श 3ए बैचाननामा दिनांक 27.10.1998 पारी बहक सुजाराम, प्रदर्श 4 राजस्व मूल वाद संख्या 37/2001 की नकल, प्रदर्श 5 राजस्व मूल वाद संख्या 37/2001 में पेश किया गया राजीनामा, प्रदर्श 6 राजस्व वाद संख्या 37/2001 में राजीनामा की तस्दीक, प्रदर्श 7 राजस्व वाद संख्या 37/2001 में पारित किया गया निर्णय दिनांक 11.09.2003 की प्रति, प्रदर्श 8 नामान्तरकरण संख्या 2131 पेश किये गये।

प्रतिवादी संख्या 1, 2 सीतादेवी, प्रमोद ने जवाबदावा इस आधार का पेश किया कि पारीदेवी, सुन्दरदेवी को वादग्रस्त भूमि किसी भी प्रकार से विक्रय करने का अधिकार नही था। विवादित भूमि पारीदेवी, सुन्दरदेवी की स्वअर्जित सम्पति नही थी, न ही उनका कभी कोई हिस्सा व कब्जा ही रहा। तथाकथित बैचान रजिस्ट्री फर्जी बनावटी व बीना प्रतिफल की तथा विधि विरूद्ध होने से प्रतिवादी संख्या 1, 2 के विरूद्ध बेअसर है। वादग्रस्त भूखण्ड पर निर्विवाद रूप से प्रतिवादी संख्या 1, 2 काबिज है। प्रतिवादी संख्या 1, 2 को खातेदार राजस्व वाद के जरिये घोषित किया गया था, विचारण के दौरान वादी ने कोई उज्र एतराज नही किया तथा प्रतिवादी संख्या 1, 2 के अधिवक्ता जो मौजूदा समय में वादी के अधिवक्ता है, उन्होने ही पूर्व वाद में पैरवी की तथा प्रतिवादीगण के पक्ष में वाद को डिक्री करवाया था। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का समझ समझाईश से तथा प्रतिवादी संख्या 1 के ससुराल आने के समय से तथा प्रतिवादी संख्या 2 का जन्म से ही वादग्रस्त भूमि में काबिज है। विवादित भूमि पर पारी व सुन्दरी का कतई कब्जा नही रहा, उस सूरत में फर्जी बैचान की आड में वादी को भौतिक कब्जा सौपने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। विवादित भूमि पर वादी ने कोई तारबन्दी नही की है। न ही मौके पर किसी प्रकार का नाप हुआ है। यदि वादग्रस्त भूमि का बैचान होता तो उस समय ही मौके पर कब्जा प्राप्त करते एवं अपने नाम का म्यूटेशन स्वीकृत करवाते। विवादित कृषि भूखण्ड का बैचान दिनांक 27.10.1998 को करना बताया, दूसरी और राजस्व वाद पूरी सुनवायी के बाद डिक्री होने के पश्चात् लम्बे अन्तराल के बाद सन् 2009 में वाद को प्रस्तुत किया गया है जो म्याद बाहर होने से खारीज योग्य है। वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1, 2 सीतादेवी, प्रमोद का भौतिक कब्जा है। विवादित भूमि पैतृक

सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

थी, इस कारण पारी, सुन्दरी द्वारा वादी के पक्ष में किया गया बैचान विधि विरूद्ध है। विवादित भूखण्ड का नामान्तरकरण करीब 18 वर्षो से स्वीकृत नही करवाया गया है। प्रतिवादी ने वादी के विरूद्ध पुलिस थाना बिलाड़ा के समक्ष फौजदारी मुकदमें पेश किये। वादी ने पूर्ववर्ती वाद के तथ्यों को छुपाकर दावा पेश किया है, इस कारण वादी का दावा खारीज होने योग्य है। विवादित भूमि को विक्रय करने का अधिकार पारीदेवी व सुन्दरीदेवी को नही था। उक्त वाद में जब तक पारीदेवी व सुन्दरीदेवी की पोतियॉ भंवरीदेवी, प्रेमदेवी पुत्रीया अमराराम को आवश्यक पक्षकार नही बना दिया जाता तब तक उपरोक्त वाद खारीज योग्य है। वादग्रस्त भूमि में पारीदेवी व सुन्दरदेवी की पोतियॉ भंवरीदेवी व प्रेमदेवी का जन्म से अधिकार था, जो कतई बैचान में शामिल नही थी। वादी ने 12 वर्ष तक नामान्तरकरण स्वीकृत नही करवाया, उसको पूरी जानकारी थी। जब वादी का विवादग्रस्त भूखण्ड पर किसी प्रकार का कोई कब्जा ही नही है तो वह स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी नही है। पूर्ववाद संख्या 37/2001 अनवान श्रीमति सीतादेवी बनाम पारीदेवी निर्णय दिनांक 11.09.2003 को अपास्त वादी नही करवा देता तब तक वादी का मौजूदा दावा चलने योग्य नही है। वादी का दावा पक्षकार के अंसयोजन के आधार पर खारीज योग्य है। वादी ने कब्जा प्राप्ति का अनुतोष नही चाहा गया है, इस कारण वादी का दावा चलने योग्य नही है। वादी पूर्ववाद संख्या 37/2001 में आवश्यक पक्षकार बनकर उस दावे को निर्णित करवाता। अतः वादी का दावा बिना कब्जे के आधार पर खारीज योग्य है। अन्त में प्रतिवादी ने वादी का दावा खारीज करने का निवेदन किया

उभय पक्षकारान के उपरोक्त अभिकथनों के आधार पर न्यायालय द्वारा निम्नलिखित तनकीयात कायम की गयी और तनकीवार विनिश्चिय निम्न प्रकार से है :–

1. आया वादी खेत खसरा नम्बर 1624 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा बिलाडा चक नम्बर 1 के 1418/124582 वॉ हिस्सा के खातेदार घोषित होने के अधिकारी है।

जिम्मे वादी

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर है। वादी ने अपने दावे में अंकित किया है कि विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1624 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा की खातेदारी भूमि पारीदेवी, सुन्दरीदेवी पत्नी जोगाराम पटेल की थी। खातेदार

सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

पारीदेवी तथा सुन्दरीदेवी ने दिनांक 27.10.1998 को खसरा नम्बर 1624 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा में से 1485/124582 वॉ हिस्सा की भूमि का बैचान वादी सुजाराम को कर दिया। पारीदेवी तथा सुन्दरीदेवी ने मिलकर उपरोक्त खातेदारी भूमि को प्रतिवादी संख्या 1, 2 सीतादेवी व प्रमोद की ओर से जवाब में वर्णित वादी के तमाम तथ्यों को अस्वीकार किया और कथन किया कि उपरोक्त विवादित भूमि खसरा नम्बर 1624 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा के खातेदार जोगाराम पुत्र शेराराम जाति कुम्हार निवासी बिलाड़ा वाले थे, खातेदार जोगाराम ने अपनी खातेदारी भूमि का वसीयतनामा अपनी दो पत्नियों पारीदेवी व सुन्दरदेवी के पक्ष में दिनांक 22.05.1993 को कर दिया उसके बाद जोगाराम का देहान्त दिनांक 17.06.1993 को हो गया, जोगाराम के देहान्त के बाद उसकी भूमि का जरीये वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 2131 उसकी पत्नी पारीदेवी व सुन्दरीदेवी के पक्ष में स्वीकृत कर दिया। लेकिन जोगाराम का एक पुत्र अमराराम भी था, जोगाराम के पुत्र अमराराम को किसी प्रकार की भूमि नही दी गयी, लेकिन अमराराम का भूमि पर कब्जा व काश्त था। उसके बाद अमराराम के पुत्र प्रमोद व उसकी पत्नी सीतादेवी ने अपनी पैतृक भूमि को प्राप्त करने हेतु न्यायालय सहायक कलेक्टर बिलाड़ा के समक्ष घोषणा खातेदारी का दावा पेश किया, जो राजस्व वाद दिनांक 11.09.2003 को स्वीकार किया और उक्त विवादित भूमि खसरा नम्बर 1624 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा प्रतिवादी 1, 2 सीतादेवी व प्रमोद के हिस्से में रखी गयी।

विद्वान अधिवक्ता वादी ने बहस में अपने दावे के तथ्यों को दोहराया और कथन किया गया कि बैचाननामा दिनांक 27.10.1998 के आधार पर वादी के पक्ष की घोषणा की जावे और राजस्व रेकर्ड में उसका नाम दर्ज किया जावे। इसके विपरित विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी 1, 2 की ओर से कथन किया गया कि प्रतिवादी संख्या 1, 2 सीतादेवी व प्रमोद ने कोई भूमि का बैचान नही किया है। प्रतिवादी सीतादेवी व प्रमोद का जब से ससुराल में आयी तब से उसका उक्त विवादित भूमि पर कब्जा है तथा प्रमोद का जन्म से कब्जा है। वादी ने बिना कब्जे की घोषणा का दावा पेश किया है, जो खारीज किये जाने योग्य है।

इन तर्को के आधार पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी ने बैचाननामा दिनांक 27.10.1998 के आधार पर अपने पक्ष का जारी किया हुआ विक्रय पत्र की घोषणा राजस्व रेकर्ड में कराने हेतु का यह दावा पेश किया है। मौजूदा वाद में वादी पी.डब्ल्यू 1 सुजाराम स्वयं बतौर साक्षी के रूप में उपस्थित

सहायक कलक्टर
एव उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

हुआ उसने जीरह मे बताया कि मैने वैचानकर्ता के हिस्से की भूमि का खरीद किया, जो भूमि तरमीम नही थी, यह कहना गलत है कि विवादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी का मकान है, बल्कि मेरा कब्जा है। मैने भूमि खरीदी तब से रकबे देखा है। हमारे द्वारा इस भूमि को खरीदने के बाद मे इस भूमि का बटवारा करवाया है। मौजूदा दावा पेश करने के बाद मुझे पूर्व वादी की जानकारी हुई पूर्व वाद की जानकारी करीब 2 वर्ष बाद पता चली मैने तहसीलदार को बैचाननामा की नकल दे दी, म्यूटेशन भरने का पता किया तो भरा नही गया। तहसीलदार को म्यूटेशन भरने की कॉपी पेश की, उसकी रसीद नही ली। रजिस्ट्री होने के बाद तहसीलदार को कॉपी दे दी, मैने 10 वर्ष तक म्यूटेशन की नकल नही ली। मैने 10 वर्ष तक गिरदावरी नही करवायी। मैने कब्जे के संबध मे कमीश्नर रिपोर्ट को नही मंगवायी है। प्रतिवादी के जवाब एवं उज्र का खण्डन नही किया है, विवादित भूमि पैतृक है। वादी का गवाह पी.डब्ल्यू 2 सोहनलाल ने अपनी जीरह मे बताया कि इस भूमि को 1998 से मै जानता हूँ वादी मेरा सगा साडू है यह मेरी खातेदारी की जमीन है, यह सही है कि मेरे जमीन के खसरा नम्बर मुझ याद नही, अजखूद कहा कि खसरा नम्बर 1798, 1646 में दो खसरे मुझे मेरी जमीन के याद है बाकी याद नही है। साडू के जो खसरा नम्बर इसलिए याद है कि विवादग्रस्त हो गया है इसलिए याद रखना पड़ता है। इस बैचान रजिस्ट्री के समय में उपस्थित था, यह रजिस्ट्री 1998 में कौनसी दिनांक मुझे याद नही है। बैचान रजिस्ट्री में मेरी साख नही है। मौके पर पटवारी ने वादग्रस्त प्लॉट का नाप नही किया मै इस प्लॉट पर हमेशा जाता हूँ। यह मुझे मालूम नही है कि शपथपत्र किससे तस्दीक करवाया, शपथ पत्र में पड़ौस नही लिखा है, रजिस्ट्री में पड़ौस दर्ज होने का कोई कारण नही है। शपथ पत्र देते समय भी याद नही है और आज भी याद नही है। खसरा नम्बर 1624 का राजस्व रेकर्ड नही देखा मुझे जरूत ही नही है। यह कहना गलत है कि मुझे पडौस का ध्यान नही होने से मेरे प्लॉट का राजस्व नक्शा नही देखा इसलिए तरमीम भी नही देखी, राजस्व नक्शे में मुझे प्लॉट का पता है। रजिस्ट्री मेरे साडू के नाम है, बैचान रजिस्ट्री का म्यूटेशन सूजाराम के नाम नही भरा गया है। यह कहना गलत है कि वादग्रस्त जमीन पर सीतादेवी, प्रमोद का मकान बना हुआ है। यह कहना गलत है कि सालों साल विवादित प्लॉट की गिरदावरी सीतादेवी व प्रमोद के नाम होती है।

मौजूदा वाद में मेने बैचाननामा दिनांक 27.10.1998 का अवलोकन किया, जो न्यायालय की पत्रावली में प्रदर्श 3ए के रूप में उपलब्ध है। उक्त बैचाननामा

सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

207

के पद सख्या 2 मे वर्णित तथ्य लिखा गया कि उपरोक्त भूमि 7 बीघा 3 बिस्वा में से दक्षिण पूर्वी तरफ का भूखण्ड नीचे लिखे पडौस व नाप के भूखण्ड के खातेदारी हकूक हमने आपको सतावन हजार रूपयो में बैचान कतई कर इस पर कब्जा व अधिकार आपका पूर्णतया करा दिया है, अतएव अब इस भूखण्ड पर आप खातेदार कृषक की हैसियत से काबिज रहेंगे। आप इस भूखण्ड का इच्छानुसार उपयोग में लायेंगे व इसका नामान्तरकरण आप आपके नाम करा लेगे, आपको बैचे गये भूखण्ड के पडौस दक्षिण तरफ रोड बाउण्ड्री व निकास, उत्तर तरफ– इसी खसरा नम्बर में से हमारी बची हुयी भूमि, पश्चिम तरफ – खसरा नम्बर 1623 की भूमि, पूर्वी तरफ – शफी मोहम्मद सिपाही की भूमि है। उक्त बैचाननामा दिनांक 27.10.1998 में दो साथ मंगलाराम पुत्र लालाराम जाति पटेल निवासी बिलाड़ा तथा ओमसिंह पुत्र लालसिंह जाति राजपूत निवासी साथीन तहसील पीपाड़शहर की दर्ज है। बैचानकर्ता पारीदेवी व सुन्दरीदेवी के अगूठा की पहचान गोरधनलाल पटेल के हाथ से इबारत लिखा हुयी दर्ज है। बैचान की गयी भूमि का कब्जा प्राप्त किया जाना क्रेता को अनिवार्य है। मौजूदा वाद में बैचाननामा दिनांक 27.10.1998 में लिखा गया कि बैचान की गयी भूमि का कब्जा आपको पूर्णतया करा दिया है, अब चूंकि वादी ने बैचान के जरिये भूमि को खरीद कर लिया है तो उसे यह साबित करना है कि भूमि पर उसका कब्जा है। वादी ने अपने खरीदसुदा भूमि के कब्जे के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य गिरदावरी, बिघोडी, आदि को पेश नही किया है, न ही वादी ने अपने कब्जे के संबंध में रंगीन फोटूज को पेश किया है तथा न ही वादी ने अपनी खरीदसुदा भूमि के पड़ौसी के बयान दर्ज करवाये है एवं न ही वादी ने मौका कमीश्नर रिपोर्ट से किसी प्रकार का मौका रिपोर्ट को मंगवायी है। वादी का गवाह पी. डब्ल्यू 2 सोहनलाल ने साक्ष्य शपथ पत्र में बताया की रजिस्ट्री करवायी तब मौके पर मौजूद था। जबकि वादी का गवाह पी.डब्ल्यू 2 सोहनलाल न तो विवादग्रस्त भूमि का पड़ौसी है तथा न ही बैचान के समय मौके पर मौजूद था, अगर मौजूद होता तो जरूर उसकी साख बैचाननामा में डाली जाती। विवादित भूखण्ड के पूर्वी तरफ शफी मोहम्मद सिपाही का पडौस बैचाननामा में बताया है पूर्वी तरफ का पडौसी शफी मोहम्मद सिपाही को वादी ने बतौर साक्ष्य पेश नही करवाया है तथा न ही शफी मोहम्मद सिपाही के किसी पारिवारिक सदस्य को बतौर साक्ष्य के रूप में परिक्षित करवाया है। बैचाननामा में दो साख डालने वाले मंगलाराम, ओमसिंह को बतौर साक्ष्य के रूप में पेश नही किया है तथा न ही पारीदेवी,

सहायक कलेक्टर
एव उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

201

सुन्दरीदेवी के अंगूठा निशानी की पहिचान करने वाला गोरधनलाल पटेल को बतौर साक्ष्य के रूप में पेश किया है। मात्र बैचाननामा में यह तथ्य लिख देने से कि मौके पर कब्जा आप खरीददार का करवा दिया है, मानने योग्य नही होता है। वादी द्वारा पेश किया गया साक्ष्य शपथ पत्र में यह लिख देने से उसका कब्जा साबित नही माना जा सकता है। इसके विपरित विवादित भूमि पर अपने रहवासीय मकान व बाडा आदि की रंगीन फोटू को पेश किया तथा विवादित भूमि के रहवास संबंधित राशनकार्ड, भामाशाहकार्ड, आधारकार्ड को पेश किया है। विवादित भूमि पर प्रतिवादी द्वारा विद्युत बिल की कॉपी को पेश किया है। प्रतिवादी संख्या 2 प्रमोद ने अपना साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया तथा अपने समर्थन में डी.डब्ल्यू 2 लाबूराम, डी डब्ल्यू 3 सुमेरसिंह को गवाह के रूप में परिक्षित करवाया, जो गवाह पड़ौसी है। अतः वादी का विवादित भूखण्ड पर कब्जा सावित नही होता है। वादी ने बीना कब्जे के आधार पर घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया है। इस प्रकार बीना कब्जे की घोषणा की डिक्री वादी के पक्ष जारी नही की जा सकती है। इस कारण वादी का दावा कब्जे के अभाव में खारीज किये जाने योग्य है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी तनकी संख्या 1 अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहा है। उक्त तनकी संख्या 1 वादी के विरूद्ध तथा प्रतिवादी 1, 2 के पक्ष में तय की जाती है।

2. आया वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1, 2 से जरिये बैचान दिनांक 27.10.1998 को खरीदी गयी भूमि कृषि सहहिस्से की भूमि थी।

जिम्मे वादी

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर है। बैचाननामा दिनांक 27.10.1998 को खरीदने से पूर्व विवादित भूमि पारीदेवी, सुन्दरीदेवी के सयुक्त हिस्सेदारी की थी। सयुक्त हिस्सेदार अपनी भूमि का बैचान कर सकता है, जबकि मौजूदा वाद में जब पारीदेवी, सुन्दरीदेवी ने वादी के पक्ष में भूमि का बैचान किया तब मौके पर प्रतिवादी संख्या 1, 2 का कब्जा व काश्त था, इस कारण प्रतिवादी संख्या 1, 2 का विवादित भूमि पर कब्जा व काश्त था तो वादी ने गलत रूप से भूमि को खरीद कर लिया है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी तनकी संख्या 2 अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहा है। उक्त तनकी सख्या 2 वादी के विरूद्ध तथा प्रतिवादी 1, 2 के पक्ष में तय की जाती है।

सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

202

3. आया वादी विवादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है।

जिम्मे वादी

तनकी संख्या 1 वादी के विरूद्ध तय हो जाने के कारण उक्त तनकी संख्या 3 वादी के विरूद्ध तथा प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पक्ष में तय की जाती है।

4. आया वादी विवादग्रस्त भूमि अपनी खरीदशुदा का राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

जिम्मे वादी

विवादित भूमि पर वादी का कोई कब्जा नही है। बीना कब्जे के आधार पर वादी राजस्व रेकर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने का अधिकारी नही है। तनकी संख्या 1 वादी के विरूद्ध तय हो जाने के कारण उक्त तनकी संख्या 4 वादी के विरूद्ध तथा प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पक्ष में तय की जाती है।

5. आया वादी अपने अधिकारों का परित्याग कर दिया है।

जिम्मे वादी

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर है। वादी ने विवादित भूमि के खातेदार पारीदेवी, सुन्दरीदेवी से कृषि भूमि को खरीद किया है, लेकिन वादी ने जब भूमि को खरीद किया तब विवादित भूमि पर कब्जा प्रतिवादी संख्या 1, 2 का था, जो कब्जा आज भी निर्विवाद रूप से चला आ रहा है। अतः वादी ने भूमि के खातेदार पारीदेवी, सुन्दरीदेवी से भूमि खरीद तो कर ली लेकिन भूमि पर कब्जा नही कर सका, इस कारण अधिकारो का परित्याग नही माना जा सकता है। अतः तनकी संख्या 5 वादी के विरूद्ध तथा प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पक्ष में तय की जाती है।

6. आया वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 3, 4 का 12 वर्षो से अधिक समय से भौतिक कब्जा चला आ रहा है एवं उनका रिहायशी मकान, बाडे है जिनके आधार पर प्रतिवादी एडवर्स पजेशन के आधार पर काबिज है। अतः वादी खातेदारी अधिकारों की घोषणा नही करवा सकता।

जिम्मे प्रतिवादी

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। ग्राम बिलाडा चक संख्या 1 तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1624 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा आयी हुयी है। जिसकी खातेदारी जोगाराम पुत्र शेराराम की थी। जोगाराम ने अपने जीतेजी अपनी दो पत्नियों पारीदेवी व सुन्दरीदेवी के पक्ष में

सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

भूमि की वसीयत कर दी। उसके बाद जोगाराम के देहान्त के बाद उपरोक्त भूमि पारीदेवी, सुन्दरदेवी के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज की गयी जोगाराम का एक पुत्र अमराराम था, जिसका विवादित भूमि पर जन्म से कब्जा व काश्त चला आ रहा था। अमराराम का देहान्त हो गया, उसके पीछे उसकी उत्तराधिकारी पत्नी सीतादेवी व पुत्र प्रमोद थे, जोगाराम की भूमि को प्राप्त करने हेतु प्रतिवादी संख्या 1, 2 ने पैतृक सहदायिगी भूमि में हक होने के आधार पर घोषणा खातेदारी का दावा पेश किया, जो राजस्व वाद संख्या 37/2001 डिक्री किया गया और भूमि खसरा नम्बर 1624 बंट व हिस्से के प्रतिवादी संख्या 1, 2 के रखी गयी। विवादित भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 के पति व प्रतिवादी संख्या 2 के पिता अमराराम का कब्जा व काश्त था, जिस पर उसके द्वारा रहवासीय मकान व बाड़ा आदि बना हुआ है, प्रतिवादी का राशनकार्ड, विद्युत बिल, भामाशाहकार्ड, आधारकार्ड, परिचय पत्र इसी विवादित भूमि के रहवास के आधार के जारी किये हुये है। वादी का विवादित भूमि पर कोई कब्जा नही है। अतः वादी बीना कब्जे के घोषणा की डिक्री जारी नही करवा सकता है। वादी ने जीरह में यह स्वीकार किया है कि हमने भूमि का बंटवाडा करवाया यानि पारीदेवी, सुन्दरदेवी न विवादित भूमि खसरा नम्बर 1624 प्रतिवादी संख्या 1, 2 के हक व हिस्से में रखी, जिसकी जानकारी वादी को बखूबी पिछले 12 से अधिक वर्षो से वादी का विवादग्रस्त भूमि पर कब्जा नही है। बीना कब्जे की घोषणा वादी के पक्ष में नही की जा सकती है तथा न ही प्रतिवादी संख्या 1, 2 को बेदखल किया जा सकता है। अतः तनकी संख्या 6 प्रतिवादी के पक्ष में तथा वादी के विरूद्ध तय की जाती है।

7. आया वादी जब तक वाद में वर्णित पूर्ववर्ती वाद संख्या 37/2001 अनवान सीतादेवी बनाम पारीदेवी डिक्री व आदेश को राजस्व न्यायालय द्वारा निरस्त घोषित नही करवाता मौजूदा वाद कतई चलने काबिल नही है।

जिम्मे प्रतिवादी

8. आया वादी का वाद रेसज्यूकेटा के आधार पर बाधित है।

जिम्मे प्रतिवादी

उक्त तनकी संख्या 7, 8 का एक साथ निर्णय किया जा रहा है। उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। विवादित भूमि खसरा नम्बर 1624 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा के खातेदार पारीदेवी, सुन्दरदेवी ने वादी के पक्ष में राजीनामा कर विवादित भूमि प्रतिवादी के हक व हिस्से में रखी गयी जो राजस्व वाद संख्या 37/2001 स्वीकार कर दिनांक 11.09.2003 को डिक्री किया जा चुका

सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

है। उक्त राजस्व वाद संख्या 37/2001 निर्णय दिनांक 11.09.2003 के आधार पर राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादी के पक्ष में नामान्तरकरण स्वीकृत किया जा चुका है। जब तक राजस्व वाद संख्या 37/2001 में पारित निर्णय को वादी द्वारा खारीज नही करवा दिया जाता तब तक भूमि पर अधिकार प्रतिवादी संख्या 1, 2 का रहेगा। वादी का दावा इस आधार पर काबिल चलने योग्य नही है। वादी का कोई हक व हिस्सा प्रभावित होता है तो वादी ने किसी प्रकार के राजस्व वाद संख्या 37/2001 को चैलेन्ज नही किया है। अतः तनकी संख्या 7,8 प्रतिवादी के पक्ष में तथा वादी के विरूद्ध तय की जाती है।

9. आया वादग्रस्त भूमि का रजिस्टर्ड बैचान प्रतिवादी संख्या 3, 4 के विरूद्ध बेअसर होने से वादी का वाद काबिज ए खारीज है।

जिम्मे प्रतिवादी

उक्त तनकी संख्या 9 को साबित करने का भार प्रतिवादी 1, 2 पर है। विवादित भूमि खसरा नम्बर 1624 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा की भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के दादा जोगाराम की थी। जोगाराम जी की भूमि में उसके पुत्र अमराराम का भी हक व हिस्सा जरिये उतराधिकार के तौर पर बनता है, इस कारण अमराराम के पुत्र प्रमोद व उनकी पत्नी सीतादेवी ने पैतृक सहदायिगी भूमि में अपना हक प्राप्त करने हेतु राजस्व वाद संख्या 37/2001 को पेश कर अपनी हिस्से की भूमि को प्राप्त किया है। विवादित भूमि पर कब्जा प्रतिवादी का चला आ रहा है। इस कारण वादी द्वारा खरीद किया गया बैचाननामा से प्रतिवादी के कब्जे काश्त की भूमि पर उसका कोई हक हासिल नही होता है। अतः वादी का दावा खारीज योग्य है। अतः तनकी संख्या 9 प्रतिवादी के पक्ष में तथा वादी के विरूद्ध तय की जाती है।

10. आया वादग्रस्त जमीन मे बहैसियत खातेदार कृषक एवं भौतिक रूप से प्रतिवादी संख्या 3, 4 काबिज है। अतः वादी प्रतिवादी संख्या 3 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

जिम्मे प्रतिवादी

तनकी संख्या 1 वादी के विरूद्ध तय हो जाने के कारण वादी प्रतिवादी संख्या 1, 2 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी नही है।

सहायक कलेक्टर
एव उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

11. आया वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की स्वअर्जित सम्पति नही होने से तथा पैतृक सम्पति होने से वादग्रस्त भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को वादी के पक्ष में तथा बीना भौतिक कब्जे के बैचान करने का अधिकार ही नही था, अतः वादग्रस्त भूमि का बैचान प्रतिवादी संख्या 3, 4 के विरूद्ध शून्य है।

जिम्मे प्रतिवादी

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। विवादित भूमि खसरा नम्बर 1624 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा जोगाराम पुत्र शेराराम की थी। जोगाराम के वारिशान उसकी दो पत्नियॉ पारीदेवी व सुन्दरीदेवी तथा एक पुत्र अमराराम था। जोगाराम के पूर्व उसके पुत्र अमराराम का देहान्त हो चुका था। अमराराम ने विवादित भूमि खसरा नम्बर 1624 में अपना रहवासीय मकान व बाडा आदि को निर्मित करवाया और उसमें सपरिवार सहित निवास करता चला आ रहा था। अमराराम के देहान्त के बाद उसकी पत्नी सीतादेवी व पुत्र प्रमोद का विवादित भूमि खसरा नम्बर 1624 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा पर कब्जा व काश्त चला आ रहा है। लेकिन अमराराम की पत्नी व पुत्र को तंग व परेशान करने हेतु पारीदेवी, सुन्दरीदेवी ने बीना भौतिक कब्जे का बैचान वादी को कर दिया गया था। बीना भौतिक कब्जे का किया गया बैचान प्रारम्भ से ही अवैध होता है, जिसमें वादी को किसी प्रकार का अधिकार उत्पन्न नही होता है। इस कारण बैचाननामा दिनांक 27.10.1998 प्रतिवादी के अधिकारों के विरूद्ध बेअसर है। अतः तनकी संख्या 11 प्रतिवादी के पक्ष में तथा वादी के विरूद्ध तय की जाती है।

12. आया वादग्रस्त जमीन का वादी के पक्ष में बैचान करते समय वादी को तथा कथित राजस्व वाद वादी के ज्ञान में था तथा वादी तथा कथित वाद डिक्री से पूर्णतया सहमत था।

जिम्मे प्रतिवादी

13. आया वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से दुर्भिसंधी करके तथाकथित रजिस्टर्ड बैचान करवाया है।

जिम्मे प्रतिवादी

उक्त तनकी संख्या 12, 13 का एक साथ निर्णय किया जा रहा है। विवादित भूमि को वादी ने पारीदेवी व सुन्दरीदेवी से खरीद किया था। अतः वादी

सहायक कलेक्ट्रर
एव उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

को राजस्व वाद की जानकारी बैचाननामा के बाद हुयी है। उपरोक्त बैचाननामा को लेकर किसी भी रूप से साक्ष्य से दुर्भिसंधी करने के तथ्य का खण्डन प्रतिवादी द्वारा नही किया गया है। इस कारण तनकी संख्या 12, 13 प्रतिवादी के विरूद्ध तथा वादी के पक्ष में तय की जाती है।

14. आया तथाकथित रजिस्टर्ड बैचान में बैचान के वक्त वादग्रस्त जमीन तरमीम ही नही थी, न ही जमीन का हिस्सा ही दर्ज था, अतः तथाकथित बैचान प्रतिवादी संख्या 3, 4 के विरूद्ध बेअसर है।

जिम्मे प्रतिवादी

वादी के पक्ष में बैचाननामा लिखा गया, तब मौके पर प्रतिवादी का कब्जा व काश्त था। बैचाननामा बीना कब्जे के हस्तान्तरण का किया हुआ है। बीना कब्जे के हस्तान्तरण का बैचाननामा शुरू से ही अवैध होता है एवं प्रतिवादी के हितों के विरूद्ध बेअसर एवं निष्प्रभावी है। अतः तनकी संख्या 14 प्रतिवादी के पक्ष में तथा वादी के विरूद्ध तय की जाती है।

15. आया वादी ने प्रतिवादी के जवाबदावे में विशेष उजर का खण्डन नही किया है, जिस तथ्यों से वादी सहमत है।

जिम्मे प्रतिवादी

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। उक्त तनकी के संबंध में वादी से जीरह में यह स्वीकार किया है कि विशेष उज्र का खण्डन नही किया है। इस कारण वादी की स्वीकारोंक्ति से यह साबित हो जाता है कि विवादित भूमि पर वादी का कोई कब्जा व काश्त नही है, बीना कब्जे की घोषणा की डिक्री जारी नही की जा सकता है। अतः तनकी संख्या 15 प्रतिवादी के पक्ष में तथा वादी के विरूद्ध तय की जाती है।

16. आया वादी का दावा म्याद बाहर है।

जिम्मे प्रतिवादी

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। वादी ने अपनी जीरह में यह स्वीकार किया है कि हमने विवादित भूमि का बंटवाडा करवाया। पारीदेवी, सुन्दरीदेवी दोनो ने मिलकर अपने पुत्र अमराराम को भूमि से महरूम रख दिया तो अमराराम की पत्नी सीतादेवी तथा उसके पुत्र प्रमोद ने गांव में

सहायक कलेक्टर
एव उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

पंचायती करवायी और राजस्व वाद पेश करके विवादित भूमि में हक व अधिकार को जरिये राजीनामा रखा गया था। वादी को सन् 2001 में ही यह जानकारी हो गयी कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 1624 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा प्रतिवादी के बंट व हिस्से में रख दिया, फिर भी उसको जानकारी होते हुए भी सन् 2009 मे मौजूदा वाद को पेश किया है। जो दावा म्याद बाहर होने से खारीज किये जाने योग्य है। अतः तनकी संख्या 15 प्रतिवादी के पक्ष में तथा वादी के विरूद्ध तय की जाती है।

आदेश

वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया घोषणा खातेदारी, स्थायी निषेधाज्ञा का वाद कब्जे के अभाव में खारीज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना स्वय वहन करेंगे। अंतिम डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

24/6/2019

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर
एव उप खण्ड अधिकारी
बिलाडा

निर्णय आज दिनांक 24-6-2019 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

24/6/2019

(रवीन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाडा
सहायक कलेक्टर
एव उप खण्ड अधिकारी
बिलाडा

208

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

वादी

सुजाराम पुत्र मोहनलाल
जाति पटेल (गोयल) निवासी
सुभाष मार्ग बिलाड़ा तहसील
बिलाड़ा, जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. श्रीमती सीतादेवी उर्फ लादूड़ी
पत्नी अमराराम
2. प्रमोद पुत्र अमराराम
जातियान पटेल निवासीगण
खटोड़ो की ढीमड़ी स्टेशन रोड
बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा
जिला जोधपुर

दावा अन्तर्गत धारा 88, 92ए, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व वाद संख्या :– 45 / 2012

निर्णय दिनांक 24·6·2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रुबरू हमारे व हाजरी श्री बेनाराम पटेल एडवोकेट वादी, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता मिनजानिब मुददई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया घोषणा खातेदारी, स्थायी निषेधाज्ञा का वाद कब्जे के अभाव में खारीज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना स्वयं वहन करेंगे।

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

24/6/2019
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज मुबलिग – बाबत् –
खर्चा इस मुकददमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 24·6·2019 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
			खर्चा गवाहान		
महनताना वकील			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			दर0 तलबाना		
			मीजान		
मीजान					

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

24/6/2019
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा
सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा